न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 127/2017

श्री कालू पुत्र श्री रामनाथ, जाति बावरी, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर।

..................अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई

..................रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री गौतम टांक वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–22.12.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री कालू पुत्र श्री रामनाथ, जाति बावरी, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम अरांई के चरागाह आराजी खसरा नम्बर 1669 रकबा 2.00 है0 पर अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार, अरांई के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 142/2017 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 17.10.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 90 दिवस के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 17.10.2017 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत करने के साथ ही इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि उन्होने विवादित भूमि से अपना नाजायज अतिक्रमण हटा लिया है एवं विवादित भूमि पर भविष्य में कोई कब्जा नहीं करेंगे। अपील पेश होने पर सब्जेक्ट टू लिमिट दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के तथ्यों का सत्यापन करने हेतु तहसीलदार अरांई को पत्र जारी करने के साथ ही रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट जरिये वकील उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय से वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित भूमि पर से अपना अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण हटा लेने का निवेदन कर दिया गया था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये तथा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर आक्षेपीय आदेश पारित कर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अतिक्रमी द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(2) पेज 858 व R.R.T. 2008(1) पेज 479 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्होने वाद ग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है इस तथ्य को अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 90 दिवस के कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, अपीलान्ट की ओर से इस अपील के साथ कब्जा छोडने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखा है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सत्यापन बाबत अपने पत्र क्रमांक 1254 दिनांक 21.12.17 से अवगत कराया है कि अतिक्रमी द्वारा विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है तथा उन्हे बेदखल किया जाकर बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः अपीलान्ट के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में से केवल सिविल कारावास की सजा में से भुगती हुई सजा को छोड़कर शेष कारावास की सजा स्थगित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष आदेश यथावत रहेगा। यदि भविष्य में अपीलान्ट किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करे तो अधीनस्थ न्यायालय उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला कलेक्टर
अपर कलेक्टर अजमेर
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner